
Know The Markings On Road They Are Your Guide



Center Line: This white broken line divides the road into two, separating opposing streams of traffic. This line can be crossed if overtaking is essential, only if the oncoming carriageway is clear

Double White/Yellow Lines:

These divide the road into two and overtaking/crossing these lines from either side and U-turn is strictly prohibited.



White > - (Signs: This indicates to slow down and proceed carefully. This road marking is generally found on roads near a school, college or hospital.

Small Broken White Lines:

These demarcate the lanes on a road. Vehicles are supposed to move in between these lines. The left most lane is for buses, heavy vehicles and slow moving vehicles. The middle lane is for LMVs, scooters & motor cycles & the right most lane is for emergency vehicles, overtaking & turning right.



Parking Prohibited Lines:

Continuous single yellow/white lines at the edge of the carriageway indicate that no vehicle can be parked but vehicle can be stopped along such a road. Continuous double yellow / white lines indicate that both parking and stopping are prohibited.



Stop Line: A single solid transverse line at the intersection. If the light signal is red or the traffic officer signals to 'Stop' one is to stop the vehicle before this line.

Zebra Crossing: Alternate black and white stripes painted parallel to the road for pedestrians to cross the road when signals indicate so. Vehicles must stop and give way to pedestrians at these crossings. Pedestrian crossings are marked to facilitate and give the right of way to pedestrians.





Box Junction: A rectangular box with yellow crossed diagonal lines. Vehicles are not supposed to stop at this even for a brief period. Vehicles should cross it only if they have a clear space available ahead of the yellow box.


All lines, patterns, words and colours applied on or attached to the road surface or kerbs are road markings, These are meant to direct, guide and regulate the road users. They are, in fact, the languages of road.

We are concerned about your safety And you can help us by obeying traffic rules



24 x 7 Traffic Helpline No.: 25844444,1095, SMS: 56767 e-mail: info@delhitrafficpolice.nic.in website: www.delhitrafficpolice.nic.in

सड़क चिन्ह आपके मार्गदर्शक इनके बारे में जानकारी रखें



मध्य रेखा: - यह सफेद खंडित रेखा सड़क को दो भागों में बांटती है।आगे का रास्ता साफ खाली दिखने पर ही ओवरटेक करने हेतु इस रेखा के पार वाहन चालक जा सकता है।


दोहरी ठोस सफेद / पीली रेखाएं :- यह दोहरी ठोस सफेद / पीली रेखा सड़क की मध्य रेखा है व विपरीत दिशा में चलते हुए यातायात को विभाजित करती है और यहाँ किसी भी दिशा से ओवरटेक करने की नुमति नही है। किसी परिसर से बाहर आते समय या अन्दर जाते समय, साईड रोड़ पर जाने के लिए, पुलिस अधिकारी के निर्देश पर या किसी स्थिर वस्तु से बचकर निकलने के लिए इन रेखाओं को पार कर सकते है।



गित रोधक चिन्ह:- सड़क पर ऐसे स्थान जहाँ दुर्घटना की अधिक संभावना हो वहाँ वाहन चालकों को अपनी वाहन की गित नियंत्रित रखने हेतु यह चिन्ह अंकित है यह अधिकतर स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, इत्यादि के सामने वाले सड़कों पर अंकित होते है।

<u>छोटी खंडित सफेद रेखाएं</u>:- सड़क को लेन में विभाजित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है वाहनों को इन लेनों के बीच में चलना चाहिये । बाइ लेन बसों, भारी वाहनों व धीमी गति के वाहनों के लिए निर्धारित है; मध्य लेन कार, स्कूटर व मोटरसाईकिल के लिए है तथा सबसे दाहिनी लेन 'ओवरटेकिंग'तथा दायें मुडनें वाले व आपातकालीन वाहनों के लिए है।

पार्किंग प्रतिबंधित रेखाएं: - ठोस लगातार पीली / सफेद रेखा जो कि परिवहन मार्ग के किनारे पर अंकित होती है, यह दर्शाती है कि इस क्षेत्र में कोई भी वाहन पार्क नही किया जा सकता और न ही रूक सकता है। यदि पीली / सफेद रेखा खंडित है तो वहाँ वाहनों की पार्किंग निषेध है, परन्तु वाहनों की रूकने की अनुमति है।



स्टाप लाईन: - यह लगातार सफेद रेखा जो कि चौराहों के पास परिवहन मार्ग पर अंकित होती है। यदि यातायात बत्ती लाल हो या पुलिसकर्मी वाहन चालक को रूकने का संकेत देता है, ऐसी स्थिति में इस रेखा से पहले अपना वाहन रोकना

जेबा कासिगं अथवा पैदल पार-पथ :- यह सफेद रेखाएं 2 से 4 मीटर लम्बी व 50 सेंटीमीटर चौडाई में सड़क के समान्तर बराबर दूरी पर अंकित होती है। जहाँ पर यह रेखाएं अंकित हो, वहीं से पैदल यात्रियों को सड़क पार करनी चाहिए। वाहन चालकों को भी जेबा कासिंग से पहले अपना वाहन रोककर पैदल यात्रियों को रास्ता पार करने का अधिकार देना चाहिए।





बाक्स जंक्शन अथवा खाली रिखए स्थान: - यह पीले रंग की आड़ी तिरछी विकर्ण रेखाएं एक डिब्बे के रूप में होती है। इस क्षेत्र में वाहनों को कुछ समय के लिए भी रूकने की अनुमति नहीं होती। वाहन चालक इस डिब्बे में तभी प्रवेश करें जब आगे निकलने का रास्ता साफ हो।

ठोस व खंडित रेखाओं का संयोजन :- ठोस व खंडित सफेद पीली रेखाओं का संयोजन दो तरफ सड़क के मध्य को दर्शाता है । वे वाहन ओवरटेक करने हेतु इस रेखा को पार कर सकते है जिनकी तरफ को खंडित रेखा है जबिक वे वाहन जिनकी तरफ ठोस /लगातार सफेद /पीली रेखा है इसको पार नहीं कर सकते है ।

यातायात नियमों का पालन करें और हमारी सहायता करें। हम आपकी सुरक्षित आवाजाही चाहते है।



24 x 7 यातायात पुलिस हैल्पलाईन न0.: 25844444, 1095, SMS: 56767

ई-मैल : info@delhitrafficpolice.nic.in वैवसाईट : www.delhitrafficpolice.nic.in

